

फॉर्म अहकाम

गणक आंतररेखा

(नियम 26)

तहसीलदार मुकाम महवा

अंतरकार बनाम रामसिंह और रामसहाय मीना

283/18

धारा 91 2 R A 4

सन्

तारीख हुल्ल	हुल्ल या कार्यवाही मय इतिहासिल्ल राज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुल्ल की तारीख में जारी हुए
30/01/18	पहली हुल्ल की रिपोर्ट दर्ज कर अतिकमी को राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर फतावली दिनांक 14/2/18 को पेश हो। तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	
14/2/18	आज फतावली पेश हुई। आज लगेबड़े गड़े। अतिकमी को ओर से दिनेश (पुत्र) उपस्थित आया है। अतिकमी के पुत्र द्वारा राजकीय अधिनियम पर अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः गणक आंतररेखा की अतिक्रमण अधिनियम अतिकमी को अधिक रूप से बदल दिया जाता है। विस्तृत विवरण पृष्ठक से लिया जाकर संलग्न फतावली है। तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	दिनेश (पुत्र)

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

क्रमांक नम्बर 283/18 तारीख रजू 30/04/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का पत्रावली बनाम
 श्री रामसिंह पुत्र रामसदथ जाति मीना निवासी आतरडेहा तहसील
 महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 14/2/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री रामसिंह ने ग्राम आतरडेहा को भूमि ख.न. 164 रकबा 0.10 किस्म चारागाह फसल रबि / खरीफ संवत 20 74 में गेहूँ कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव में कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमम योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 164 रकबा 0.10 किस्म चारागाह वाके ग्राम आतरडेहा से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 1.90 का 50 गुणा 9527 शक्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खड़ी फसल गेहूँ को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट / निलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
 तहसील-महवा (दौसा)
 तहसीलदार महवा

रजिस्ट्रार महवा
 वर्ष 2017-18
 की सहायता
 की जाय
 दिनांक 6/3/18
 9527
 B. S. Choudhary
 तहसील-महवा